भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

65AA 014412

मुहरनामा 10/- नकल नम्बर 519 वर्ष 2009 पर संलग्न है।

पक्ष—सुना—स.र. II

न्यायालय तहसीलदार सदर कानपुर नगर

वाद सं0 979/00 02

मजदीर स0आ0स0लि0 - बनाम रामस्वरूप आदि

धारा-34/35 एल0आर0 एक्ट

मौजा-पैरी अकबरपुर कछार कानपुर नगर।

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी द्वारा पंजीकृत बैनामा के आधार पर प्रस्तुत करते हुए विक्रीत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित किए जाने की प्रार्थना की है।

नियमानुसार इश्तहार जारी किए गए जो वाद तामीली शामिल पत्रावली है। किसी ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में मूल बैनामा, नकल खतौनी व शपथपत्र, दाखिल किए गए। मौखिक साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल ने बयान करते हुये कथन किया है कि विक्रीत भूमि पर क्रेता का ही कब्जा व दखल है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रीत भूमि [illegible] आदि की नहीं है।

मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य को मद्देनजर पत्रावली पर दाखिल पंजीकृत बैनामा से आराजी विवादित का प्रार्थी के हक में विक्रय किया जाना एवं विक्रीत भूमि पर क्रेता का ही कब्जा व दखल सिद्ध है। अतएव वादी का नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम पैरी अकबरपुर कछार की खाता खतौनी 1410 फ0 लगायत 1414 फ0 खातासं0 228 आराजी सं0 1092 रकबा 0.154हे0 मालगुजारी 60रु0 पर विक्रेता रामस्वरूप व राजाराम व सूबेदार व देवी प्रसाद व सोनेलाल पुत्रगण स्व0 दुलारे निवासीगण ग्राम रायपुर कानपुर नगर का नाम पृथक करके पंजीकृत बैनामा दि0 06-12-01 के आधार पर क्रेता मजदीर सहकारी आवास समिति लि0 कानपुर नगर द्वारा सचिव एस0के0 जैन पुत्र के0सी0 जैन निवासी 73 आर0एस0पुरम् काकादेव कानपुर नगर का नाम बतौर संक्रमणीय/असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात किया जावे। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांक :- 18/5/08

तहसीलदार (सदर)
कानपुर नगर

(14)

291

23

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 Rs.15000

00BB 330596

Attested
Subodh Kumar Trivedi
ADVOCATE
Court Compound - Kanpur.

Attested
Subodh Kumar Trivedi
Court Compound

Attested
3/7/96

|| श्रीगणेशायनमः ||

हम कि रामस्वरूप व राजाराम व सूबेदार व देवी प्रसाद व सोनेलाल वयस्क पुत्रगण स्व० दुलारे काश्त निवासीगण ग्राम रूपपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर के हैं।

विदित हो कि हम मुकिरान आराजी भूमिधरी नंबरी १०८२ रकबा ०, ९५४ हे० स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार

राजाराम सूबेदार देवी प्रसाद

नि० अं० रामस्वरूप

सोनेलाल

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.　Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये　ONE THOUSAND RUPEES

(२)

परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर के तनहा
मालिक, काबिज दखील संक्रमणीय भूमिधर काश्तकारान
हैं, कब्जा भी हम मुकिरान का है तथा नाम भी दर्ज
कागजात सरकारी पुरातत्व अभिलेखों में है। हम मुकिरान
को उक्त जायदाद बाहक्क अपने पिता के निधनोपरान्त
हासिल हुयी है। हम मुकिरान के अलावा अन्य कोई व्यक्ति
हकदार व हिस्सेदार या भागीदार अथवा साझीदार
नहीं है। उक्त जायदाद विवरण हस्ब जैल आज दिन तक
कुली बार किस्म के हर तरह पाक व साफ है। कहीं रहन

27

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु.

Rs500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

बय, हिबा, मुस्तगरक, अमानत आदि नहीं है तथा किसी डिगरी व इजराये डिगरी में कुर्क अथवा बासरे नीलाम नहीं है तथा किसी न्यायालय या महकमा सरकारी द्वारा विक्रयवादि करने से भी रोका नहीं गया है तथा किसी बैंक लोन आदि में बन्धक भी नहीं है उक्त जायदाद किसी ✓ न्यायालय या महकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक अधिगृहीत नहीं की गयी है और न ही मुकिरान को कोई नोटिस ही एक्वायर करने सम्बन्धी हम मुकिरान को कभी प्राप्त हुआ है। गरजे कि जायदाद उपरोक्त आज

राजाराम

INDIA

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

(४)

जिन सब हर प्रकार से पाक व साफ है, तथा हम मुकिरान को उक्त जायदाद को बजरिये बयनामा विक्रय करने सम्बन्धी कुल अधिकार मालिकाना हासिल है। चूंकि हम मुकिरान को गृह सामाजिक अन्य आवश्यकताओं की पूर्तिहेतु रुपयों की सख्त आवश्यकता दरपेश है। जो कि बिना बेचे हुये जायदाद उपरोक्त हम मुकिरान की बाहर से पूरा नहीं हो सकती है। लिहाजा हम मुकिरान ने उक्त जायदाद विवरण निम्नलिखित को बेचना उचित समझकर बेचने की बाबत इधर उधर बातचीत शुरू की तो मुनासिब भाव पर मिल रकम मुबलिग १,१२,५००/- एक लाख बारह हजार पांच सौ रुपया में [illegible]

[illegible]

[illegible]

(५)

~~बाशिन्दा मुश्तरी [illegible] निवासी [illegible]~~

~~[illegible] पर दिया है~~

रजामन्द हैं, कीमत निहायत मुनासिब व वाजिब है, बाजारी भाव सेल नहीं है। कीमत हम मुश्तरियान को मंजूर व तसलीम है। लिहाजा आज हम सेहत होश व हवास बगैर बदुरुस्ती होश हवास बिना किसी दबाव नाजायज के पूरा हक व हकूक दाखिली व खारिजी राह व आमदा बिना छोड़े हुए किसी चीज के बिक्रय रकम मुबलिग १,१२,५००।- एक लाख बारह हजार पांच सौ रुपया जिसके आधे मुबलिग ५६,२५०।- छप्पन हजार दो सौ पचास रुपया जिसका जिन्द सरकार / यूनियन बैंक है, वे उक्त जायदाद विवरण निम्नलिखित को मय कुल हकूक व ठिकाना व हस्तान्तरी सहित बदस्त पहाड़गंज सहकारी आवास समिति लि० रजिस्ट्रेशन संख्या ६६६।८२

मुख्य कार्यालय ६३/२ सिटी सेन्टर माल रोड शहर कानपुर द्वारा सचिव श्री ए० के० जैन पुत्र श्री बी० के० जैन निवासी ७/२ आर० एम० पुरम काकादेव शहर कानपुर के हक बय कतई कर दिया यानी बेच डाला तथा कुल कीमत हम मुकिरान ने उक्त खरीदार समिति से निम्न विवरणानुसार नकद वसूल पा लिया है। जिसका जर समन तय एक पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रहा। हम मुकिरान ने आज की तारीख से अपना कब्जा दखल मालिकाना व वाकई जायदाद मुबैया हाजा से हटा कर मौके पर कब्जा दखल मालिकाना व वाकई खरीदार का जायदाद मुबैया हाजा पर करा दिया तथा मालिक,काबिज करा दिया, खरीदार समिति आज की तारीख से जायदाद मुबैया हाजा की एक मात्र मालिक,काबिज मुस्तकिल हो गयी तथा उसे कुल अधिकार

राजाराम

35

INDIA

ONE RUPEE ONE RUPEE

मालिकाना इन्तकाली दाखिली व तारीखें भी दाखिल हो गये। खरीदार समिति जिस प्रकार से चाहे जायदाद मुबैया हाजा को अपने प्रयोग व इस्तेमाल में लावे। हमें मुकिरान व वारिसान मुकिरान को कोई उजुर व एतराज न होगा। खरीदार समिति को हक हासिल होगा कि वह अपना नाम कागजात सरकारी में बतौर मालिक मिलकियत दर्ज करा लेवे तथा दर्जनाम हम मुकिरान खारिज करा देवे। जिसकी रजामन्दी इस दस्तावेज हाजा द्वारा समझी जायेगी। फिर भी यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मुकिरान अपनी तहरीरी व जुबानी रजामन्दी देंगे और भी जरूरत हाजिर पेश कर देगा। यदि जायदाद मुबैया हाजा का कुछ या कुल भाग कब्जा दखल मुकिरान के फोड या लकेड या नुक्स मिलकियत आदि की वजह से खरीदार समिति के कब्जा दखल

राजाराम

रामप्रसाद

(८)

से निकल जावे या खरीदार समिति को जायदाद मुबैया हाजा की निस्बत आज दिन तक की बाबत कुछ भी अदा या खर्च करना पड़े तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुकिरान व वारिसान मुकिरान की होगी, और खरीदार समिति को यह हक हासिल होगा कि वह अपना कुल जर समन मय हरजा खर्चा मुकिरान की दीगर माल मता जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस प्रकार से चाहे दाम दाम नकद वसूल पा लेवे। इसमें मुकिरान व वारिसान मुकिरान को कोई उजर मुस्तराकन होगा। इसलिए शरायत दस्तावेजात की पाबन्दी मुकिरान व वारिसान मुकिरान पर व कायम मुकामान वारिसान मुकिरान पर लाजिम व वाजिब होगी।

लिहाजा यह सही होश हवास बिला किसी दबाव नशा पानी के

INDIA

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

(६)

स्वस्थ,मन,बुद्धि, चित्त की दशा में बिना किसी के बहकाये या बरगलाये राजी खुशी से यह चन्द कलमात बतौर बयनामा कवर्ड तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

विवरण जायदाद मुबैया

आराजी भूमिधरी नम्बरी १०६२ एक हजार बानवें रकबा ०.१५४ हे० शून्य दशमलव एक पाँच चार हे० स्थित ग्राम बैरी अकबरपुर बाँगर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर विक्रय किया गया है। उपरोक्त भूमि कृषि भूमि है खेती होती है। ग्राम बैरी अकबरपुर बाँगर में नगर महापालिका व मास्टर प्लान नहीं है। उक्त भूमि

50 Rs.

पचास रुपये

५०रु भारत INDIA 50RS

FIFTY RUPEES

(१०)

के विक्रय अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र सक्षम सीलिंग कार्यालय कानपुर प्रेषित कर दिया है, पत्र सं० सर ६६ है। विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी सर्किल रेट ३,००,०००/- रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से १,१४,०००/- रुपया पर मुबलिग १६,५५८/- रुपया की अदा कीगयी है। अब हम लोगों का कोई हिसाब बाकी नहीं रहा। कस्बा कल्याणपुर गाँव नं०-२ है।

पूरब- आराजी नम्बर १०६१ खरीदार समिति

पश्चिम- आराजी नम्बर १०८६ खरीदार समिति

निशान अंगूठा रामस्वरूप

राजाराम सुखदेव मोतीलाल

राजाराम

सुखदेव मोतीलाल

निशान अंगूठा रामस्वरूप

(११)

उत्तर- आराजी नम्बर १०६३ खरीदार समिति

दक्षिण- आराजी नम्बर १०६० खरीदार समिति

तफसील वसूलयाबी मरे समन मुआविजा

१,१२,५००/- एक लाख बारह हजार पाँच सौ

रुपयाँ।

मुआविजा १,१२,५००/- एक लाख बारह हजार पाँच सौ रुपया रूबरू श्रीमान उप रजिस्ट्रार सदर कानपुर के मुकिरान ने उक्त खरीदार समिति से नकद वसूल पा लिया है। जिसका अब समन का एक भी पैसा पाना

INDIA ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

जिम्मे खरीदार के होगा नहीं रहा।

तहरीर तारीख- ३-७-१९९६ ई०

गवाह१- रामलखन तिवारी
पुत्र स्व० श्री सुर्यबली तिवारी
[illegible]

गवाह-२ शिवप्रसाद [illegible]
[illegible]

टाइपकर्ता-

राकेश कुमार सिंह,

डा०नं० ८१ कोर्ट कानपुर

DRAFTED BY ME

Subodh Kumar Trivedi
ADVOCATE
Court Compound - Kanpur.

2/46

9.02.20

न्यायालय तहसीलदार
वादसंख्या 97-91 / 8-9
आदेश ति० 18-5-9
पारित ति० 28-5-9

31796

818
कार्यवाहु

3.7.96

73
कार्यवाहु

22.2.2000

22.2.2000

2 1838 291

81

नायब तहसीलदार
सदर रजिस्ट्रार
कानपुर
दिनांक 8.2.07